अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत गठित राज्य स्तरीय सर्तकर्ता एवं प्रबोधन समिति की चतुर्थ बैठक जो दिनांक 26.8.2006 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन हुई, का कार्यवाही विवरण ।

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया :-

1. श्री रंगीला राम राव, मान्नीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, हि0प्र0
2. श्री सिंघी राम, मान्नीय खाध्य एवं आपूति मन्त्री, हि0प्र0
3. श्री कुलदीप कुमार, मान्नीय उद्योग मन्त्री हि0 प्र0
4.श्री ईश्वर दास, मान्नीय विधायक, आनी
5. श्री एस0 के0 भारद्वाज, मान्नीय विधायक,राजनगर
6. श्री रघु राज, मान्नीय विधायक, कसौली
7. श्री रघुबीर सिंह, मान्नीय विधायक, लाहौल स्पिति
8. श्री बीरू राम किशोर, मान्नीय विधायक,गेहड़वीं
9 श्री बोध राज मान्नीय विधायक, गंगथ
10श्री सोहन लाल, मान्नीय विधायक, कसुम्पटी
11. श्री मस्त राम मान्नीय विधायक, करसोग
12 श्री एस0 एस0 परमार, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार
13श्री एस0 विजय कुमार, प्रधान सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार
14 श्री अश्वनी कुमार, महानिदेशक, पुलिस हिमाचल प्रदेश
15. श्री भीम सैन, प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार
16 श्री अश्वनी कुमार , निदेशक, अभियोजन
17.श्रीमति अनुराधा ठाकुर, निदेशक, सामाजिक नयाय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0
18.श्री ओ0सी ठाकुर, पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर हि0प्र0
19 श्री एन 0के0 सेठ, रिसर्च औफिसर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, चण्डीगढ

Information supplied under RTI Act-2005
PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

सर्व प्रथम प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री महोदय तथा उपस्थित समस्त गैर सरकारी/सरकारी सदस्यों का इस बैठक में पधारने पर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति पर होने वाले अत्याचारों से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा के सम्बन्ध में इस चतुर्थ बैठक का आयोजन किया गया है ।

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

तदोपरान्त मान्नीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री महोदय ने मान्नीय मुख्य मन्त्री महोदय का इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए हार्दिक अभिनन्दन किया और साथ ही बैठक में उपस्थित सभी गैर सरकारी/सरकारी सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों

इसके पश्चात माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए प्रगतिशील है । इसी दिशा में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 को कार्यान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह सन्तोष का विषय है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो पर अत्याचार की अधिक घटनाए घटित नही होती किन्तु फिर भी हमें ऐसे मामलों पर कड़ी नज़र रखनी होगी तथा अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का प्रबोधन जिला व राज्य स्तर पर निर्धा. अवधि में किये जाने पर बल दिया ।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूचि मदों पर चर्चा प्रारम्भ की गई ।

<u>मद संख्या: 1 अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के तहत गत 5 वर्षों में दर्ज मामलों व उनके निपटारे की जिलावार समीक्षा ।</u>

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने वर्ष 2001 से 2005 तक अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के अन्तर्गत पुलिस विभाग से प्राप्त दर्ज मामलों की सूचना निम्न अनुसार बैठक में प्रस्तुत की :–

Sr. No		No. of cases brought forwarded from previous year	No of cases registered during the year	Total No. of cases	No of cases charge sheeted	No of cases closed after investigation	No of cases pending	Remarks
1	2001	10	72	82	50	29	3	--
2	2002	3	82	85	51	22	12	--
3	2003	12	76	88	52	22	14	--
4	2004	14	70	84	47	26	11	--
5	2005	11	38	49	35	9	5	--

Information supplied under RTI Act-2005
PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

प्रधान सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बताया कि वर्ष 2005 तक 5 मामले अनवेक्षणाधीन है तथा मामलों की छानबीन अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार

निवारण अधिनियम) 1989 नियम 1995 के तहत मामलों का अनवेक्षण निर्धारित 30 दिन की अवधि में पूर्ण नही हो रहा है । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग इस सन्दर्भ में पूर्ण सूचना दे कि यह 5 मामले कब पंजीकृत हुए थे तथा इनका अन्वेक्षण मामलों के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर पूर्ण किया जाए ।

श्री बीरू राम किशोर विधायक, गेहड़वी ने बताया कि ग्राम पंचायत पपलोआ तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर में आंगनवाड़ी केन्द्र में 2 अनुसूचित जाति की कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है ,किन्तु सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों को जाने नहीं दिया जा रहा है ।

श्री सींघी राम माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री ने बताया कि कुनाह ग्राम पंचायत जिला कांगड़ा में सुश्री शकीलो देवी की हत्या हुई थी तथा इस मामले में 1998–99 में पुलिस थाना ज्वालामुखी में मामला दर्ज हुआ था , उक्त मामाले क्या कार्यवाही हुई का विवरण दिया जाये ।

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस विभाग उपरोक्त मामलों में तुरन्त छानबीन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।.

श्री बोध राज विधायक गंगथ ने बताया कि ग्राम पंचायत बैह जिला कांगड़ा में स्कूल में दिन का खना बनाने वाली महिला अनुसूचित जाति से सम्बधित होने के कारण उक्त महिला को नौकरी से हटा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि उप निदेशक शिक्षा धर्मशाला मामले में जांच उपरान्त रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करें ।

श्री मस्त राम विधायक करसोग ने अनुरोध किया कि जो मामले सुनवाईउपरान्त बनद किए गए है उनकी सूचि उपलब्ध करवाई जाए ।

श्री एस.के. भरद्वाज विधायक ने सूचित किया कि वर्ष 2004 में सुश्री ठाकरी देवी निवासी प्रभा (चुराह) के पति की हत्या का मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय ने पुलिस विभाग को नर्देश दिए कि वे मामले में जांच करके रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें ।

Information supplied under RTI Act 2005
PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

मद संख्या: 2 अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के तहत न्यायालय में लम्बित मामलों व उनके निपटारे की स्थिति बारे ।

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने वर्ष 2001 से 2005 तक पुलिस विभाग से प्राप्त अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के अन्तर्गत न्यायलय में लम्बित मामलों की सूचना निम्न अनुसार बैठक में प्रस्तुत की :–

Sr.No	Year	No. of cases brought	No of cases received during the year	Total No. of cases	No of cases disposed off	No of cases conviction	No of cases acquittal	No of cases Pending
1	2001	154	50	204	41	9	32	163
2	2002	163	51	214	36	4	32	178
3	2003	178	52	230	60	5	55	170
4	2004	170	47	217	50	2	48	167
5	2005	167	35	202	55	7	48	147

न्यायलय में लम्बित मामलों तथा कन्वीक्शन मामलों की संख्या पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री सिंघी राम माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री तथा श्री ईश्वर दास माननीय विधायक आनी क्षेत्र ने चिन्ता जताई कि दर्ज मामलों की अपेक्षा कन्वीक्शन रेट बहुत कम है जिससे प्रतीत होता है कि किसी न किसी स्तर पर कोई कमी जरूर रही है जिस कारण कन्वीक्शन दर बहुत कम है । इसके अतिरिक्त न्यायलय में लम्बित मामलों की संख्या भी अधिक है जिसे शीघ्र निपटाया जाना अति आवश्यक है श्री वीरू राम किशोर विधायक ने बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में लम्बित मामलों की पैरवी भी सही ढंग से नहीं की जाती है।

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गृह विभाग माननीय उच्च न्यायालय से यह निवेदन करें कि अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए तथा पुलिस विभाग को अन्वेषण प्रकीया में सुधार लाने के लिए लिखा जावे ।

Information supplied under RTI Act-2005
PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

मद संख्या: 3 नियम 15 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई आकस्मिकता योजना बारे चर्चा/सुझाव ।

प्रधान सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा बैठक में बताया।

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

गया कि अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के नियम 15 के प्रावधानों के अनुरूप प्रावधानों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यन्वित करने हेतु एक आकस्मिकता योजना तैयार की गई है जिसमें सभी सम्बधित विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भूमिका को चिन्हित किया गया है । आकस्मिकता योजना की प्रति सभी गैर सरकारी/सरकारी सदस्यों को कार्यसूचि के साथ उपलब्ध करवाई गई है । इस आकस्मिकता योजना पर बैठक में व्यापक रूप से चर्चा की गई तथा यह सर्व सम्मति से पारित की गई ।

मद संख्या: 4 अत्याचार से पीड़ितों को गत 6 वर्षों में दी गई राहत राशि के वितरण की समीक्षा ।

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) वर्ष 2000–2001 से 2005–06 तक अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम)1989 के अन्तर्गत

पीढित व्यक्तियों को विभाग द्वारा प्रदान की गई राहत राशि का विवरण बैठक में प्रस्तुत किया जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया ।

मद संख्या: 5 अत्याचार की प्रवृति से युक्त क्षेत्रों की पहचान बारे चर्चा ।

प्रधान सचिव (गृह) द्वारा बैठक में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है , जो कि अत्याचार की प्रवृति से युक्त हो। वैसे भी प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था संतोष जनक है । जिस पर अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया तथा चर्चा उपरानत मद समाप्त की गई ।

मद संख्या: 6 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989/ नियम 1995 के प्रचार बारे समीक्षा ।

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)ने बताया कि इस अधिनिय का समय समय पर व्यापक प्रचार/प्रसार किया जाता रहता है । चालू वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम के व्यापक प्रचार हेतु जिला /खण्ड/तहसील तथा आंगनवाड़ी स्तर पर 624 जागरूकता शिविरों/कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि/जिलापरिषद तथा ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जाएगा।

Information supplied under RTI Act-2005

PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

इन जागरूकता शिविरों के आयोजन हेतु सभी जिला कल्याण अधिकारियों को राशि जारी की जा चुकी है तथा अधिनियम की मुख्य धाराओं से सम्बधित एक पम्फलेट छपवाया गया है जो कि जन साधाराण में इन जागरूकता शिविरों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएगे जिससे सभी समुदाय के आम लोगो तक इस अधिनियम के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी । अतः चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई ।

मद संख्या : 7 अन्य कोई मद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :

मान्नीय विधायक श्री रघुबीर सिंह द्वारा श्रीमति शीला शर्मा द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत श्री मेला राम संगरोली अनुसंधान अधिकारी के विरूद्व थाना बालुगंज में दर्ज शिकायत/मामले पर हुई प्रगति बारे जानकारी चाही थी । प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अवगत करवाया कि इस अभियोग का अनवेषण कार्य उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय थाना बालुगंज द्वारा किया गया जिन्होंने कि मौका पर गवाहों के ब्यान लिए तथा आरोप निराधार पाए । अतः इस अभियोग में दिनांक 28.3.2004 को रद्द रिपोर्ट तैयार की गई । यह रिपोर्ट न्यायलय में भेजी गई थी जंहा से पुनः अनवेषण के लिए प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा अन्वेषण किया गया था अन्वेषण के दौरान मामले में कोई भी सच्चाई न पाये जाने के कारण दिनांक 9.7.2004 को पुनः रद्द रिपोर्ट में ही सहमति दी गई जो कि न्यायलय में विचाराधीन है । अतः चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई

बैठक की अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई ।

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

Information supplied under RTI Act-2005

PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh